



Neutral Citation No- 2026:AHC:23313

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 2026 की 492

छोटे लाल एवं एक अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता : हरिश्चन्द्र

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बी.एन. पाठक को सुना गया।

2. प्रस्तुत रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोष हेतु संस्थित की गई है:-

"(1). उप-जिलाधिकारी, हंडिया, जनपद-प्रयागराज द्वारा अपील संख्या 6674 वर्ष 2024 (केशरी प्रसाद एवं अन्य बनाम छोटे लाल एवं अन्य) में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 35(2) के अंतर्गत पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 14.08.2025, के प्रचालन एवं प्रभाव को राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के समक्ष उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 210 के अंतर्गत लंबित पुनरीक्षण संख्या 4749 वर्ष 2025 (छोटेलाल एवं एक अन्य बनाम केशरी प्रसाद एवं अन्य) के अंतिम निस्तारण तक, रोकने/स्थगित करने वाली परमादेश की प्रकृति की एक रिट, आदेश या निर्देश निर्गत किया जाए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(ii). प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को यह समादेशित करते हुए परमादेश की प्रकृति की एक रिट, आदेश या निर्देश निर्गत किया जाए कि वे उपरोक्त पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ताओं को प्रश्नगत भूमि से बेदखल न करें और उनके शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप न करें।

(iii). राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश को पुनरीक्षण संख्या 4749 वर्ष 2025 को समयबद्ध अवधि के भीतर त्वरित गति से विनिर्णीत करने हेतु निर्देशित करते हुए एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश निर्गत किया जाए।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 5 से 9 के पिता द्वारा आरम्भ की गई नामांतरण कार्यवाही (mutation proceeding) को तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 3.07.2023 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया था। उन्होंने आगे यह प्रस्तुत किया कि निजी प्रत्यर्थीगण द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 35(2) के अंतर्गत अपील योजित की गई थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपील में उप-जिलाधिकारी ने मनमाने एवं अवैध ढंग से प्रश्नगत भूखंड को राज्य में निहित (vesting) करने का आदेश पारित किया है। उन्होंने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता, निजी प्रत्यर्थीगण के पिता के पक्ष में प्रश्नगत भूखंड के विक्रय विलेख (sale deed) के निष्पादन से इनकार कर रहे हैं, अतः प्रश्नगत भूखंड राज्य में निहित नहीं किया जा सकता, अपितु याचिकाकर्ता ही प्रश्नगत भूखंड के विधिक स्वामी हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं ने राजस्व परिषद् के समक्ष स्थगन आवेदन सहित पुनरीक्षण योजित किया है, किन्तु राजस्व परिषद् ने अंतरिम आदेश प्रदान नहीं किया है बल्कि विपक्षीगण को नोटिस निर्गत किया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा विक्रय विलेख के निरस्तीकरण हेतु संस्थित सिविल वाद में यथास्थिति (status quo) बनाए रखने हेतु व्यादेश प्रदान किया गया है, किन्तु राज्य उक्त सिविल वाद में पक्षकार नहीं है। उन्होंने आगे यह प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 35(2) के अंतर्गत उप-जिलाधिकारी द्वारा संपत्ति को राज्य में निहित करने वाले आदेश के आधार पर, प्राधिकारी प्रश्नगत संपत्ति के संबंध में याचिकाकर्ताओं के अधिकार एवं स्वत्व (title) में हस्तक्षेप कर रहे हैं, अतः याचिकाकर्ता उप-जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 14.08.2025 के विरुद्ध अंतरिम संरक्षण के पात्र हैं। उन्होंने यह प्रदर्शित करने हेतु इस न्यायालय के निर्णय, जो 2007 (102)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



RD 498 अली शेर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर, बिजनौर एवं अन्य में प्रतिवेदित है, पर अवलंब लिया कि यदि अपील/पुनरीक्षण के अधीन आदेश के गंभीर परिणाम होते हों, तो अपील/पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

4. दूसरी ओर, राज्य-प्रत्यर्थागण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बी.एन. पाठक ने तर्क दिया कि राजस्व परिषद् द्वारा पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत करने के स्थान पर राजस्व परिषद् के समक्ष पुनरीक्षण की कार्यवाही में ही प्रतिवाद करना चाहिए।

5. मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है एवं अभिलेख का परिशीलन किया है।

6. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 35(2) के अंतर्गत अपील में उप-जिलाधिकारी के आदेश द्वारा प्रश्नगत संपत्ति राज्य में निहित हो गई है। इस तथ्य के संबंध में भी कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थगन आवेदन सहित योजित पुनरीक्षण राजस्व परिषद् के समक्ष लंबित है, किन्तु पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान राजस्व परिषद् द्वारा कोई अंतरिम संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है।

7. इस न्यायालय ने **अली शेर (उपरोक्त)** के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अपील या पुनरीक्षण के अधीन आदेश के गंभीर परिणाम होते हों, तो अपील/पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान आदेश के प्रचालन को निलंबित किया जाना चाहिए। **अली शेर (उपरोक्त)** में प्रदत्त निर्णय के पैरा संख्या 4 एवं 5 सुसंगत होंगे, जो निम्नानुसार हैं:

"4. यह सुस्थापित है कि एक बार जब किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा दीवानी परिणामों वाले आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण ग्रहण कर लिया जाता है, तो दोलायमान

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



लोलक की स्थिति से बचने हेतु सामान्यतः स्थगन प्रदान किया जाना चाहिए, जब तक कि न्यायालय अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह न पाए कि स्थगन प्रदान करने हेतु कोई आधार नहीं है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने मूल चंद बनाम राजा बुलंद शुगर इंडस्ट्रीज के प्रकरण में प्रेक्षित किया है।

5. तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, आक्षेपित आदेश दिनांक 16.11.2006 एतद्वारा अपास्त किया जाता है। रिट याचिका स्वीकार की जाती है। अपीलीय न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह याचिकाकर्ता की अपील का विधि के अनुसार यथासंभव शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति उसके समक्ष प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर निस्तारण करे और उपर्युक्त निर्देशानुसार अपील के निस्तारण तक, पक्षकार विवादित भूमि की प्रकृति एवं कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखेंगे।"

8. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता निजी प्रत्यर्थीगण के पिता के पक्ष में किसी भी विक्रय विलेख के निष्पादन से इनकार कर रहे हैं, अतः निजी प्रत्यर्थीगण द्वारा योजित अपील में प्रश्नगत संपत्ति को राज्य में निहित करना विधि के अनुसार नहीं है।

9. इस न्यायालय द्वारा अली शेर (उपरोक्त) में प्रतिपादित विधि के सिद्धांत के साथ-साथ मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, वर्तमान याचिका इस निर्देश के साथ अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद्, पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, इस न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिमानतः तीन माह की अवधि के भीतर, याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत योजित उपर्युक्त लंबित पुनरीक्षण संख्या 4749 वर्ष 2025 का निस्तारण त्वरित गति से करे। यह भी निर्देशित किया जाता है कि राजस्व परिषद् के समक्ष उक्त पुनरीक्षण के लंबित रहने तक, उप-जिलाधिकारी, हंडिया, प्रयागराज द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.08.2025 का प्रभाव एवं प्रचालन आस्थगित रहेगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2 फरवरी, 2026

पी.एस.*

(न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"